दिनांक 3 अगस्त 2022 स्वच्छ और सुंदर भिलाई

# रस्तोगी एजुकेशन सोसायटी और हाईटेक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को निगम ने थमाया नोटिस, रस्तोगी एजुकेशन सोसाइटी को शैक्षणिक भवन के रूप में उपयोग तत्काल बंद करने जारी हुआ नोटिस

भिलाई नगर/ छात्रावास में उल्टी , दस्त की घटना घटित होने के बाद रस्तोगी एजुकेशन सोसायटी और हाईटेक मल्टी स्पेशलिटी को भिलाई निगम ने नोटिस जारी किया है। रस्तोगी एजुकेशन सोसायटी को निगम ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि आवासीय प्रयोजन के लिए भवन की अनुमति प्राप्त की गई थी। लेकिन निर्मित भवन का उपयोग अवैध रूप से रस्तोगी कॉलेज आफ नर्सिंग नामक शैक्षणिक संस्था के संचालन के लिए किया जा रहा है। जो कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 293, 294 व 301 का उल्लंघन है। आयुक्त ने जारी नोटिस में ने कहा है कि निर्मित भवन का शैक्षणिक भवन के रूप में उपयोग तत्काल बंद कर पत्र प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर निगम कार्यालय के भवन अनुज्ञा शाखा में स्वयं उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भवन अधिकारी के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत करें। इधर रस्तोगी एजुकेशन सोसाइटी को दूसरा पत्र भी जारी किया गया है , जिसमें हॉस्टल प्रबंधन द्वारा छात्रावास संचालन हेतु आवश्यक सुविधाएं जैसे पेयजल , शौचालय एवं छात्रावास भवन परिसर की साफ सफाई , फायर सेफ्टी पंजीयन एवं उपकरण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने का उल्लेख किया गया है। जांच में जल शुद्धीकरण यंत्र क्षतिग्रस्त एवं जर्जर स्थिति में पाया गया था। इन सब के संबंध में भी जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है। इसके अतिरिक्त रमेश मिश्रा एवं विजयलक्ष्मी को भी नोटिस जारी करते हुए आवासीय प्रयोजन हेतु लिए गए भवन अनुज्ञा पर छात्रावास संचालित करने को लेकर छात्रावास को तत्काल बंद कर जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है। वहीं निगम ने हाईटेक मल्टी स्पेशलिटी को भी नोटिस जारी किया है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि लगभग 39 विद्यार्थी जो की उल्टी दस्त की शिकायत के कारण क्रमबद्ध तरीके से हाईटेक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लगातार तीन दिवस तक उपचार करा रहे थे इसकी सूचना नगर पालिक निगम भिलाई या जिला प्रशासन को सही समय पर नहीं दी गई। जोकि नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन है। सही समय पर घटनाक्रम से अवगत नहीं कराया गया। इस गैर जिम्मेदारी व लापरवाही के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने निगम ने कहा है। उल्लेखनीय है कि घटना की जानकारी मिलते ही महापौर नीरज पाल छात्राओं से मिलने अस्पताल पहुंचे थे , उन्होंने इस दौरान मामले की जांच करने एवं मामले में उचित करवाई करने कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा से चर्चा की थी। इसी तारतम्य में निगमायुक्त लोकेश चंद्राकर ने तत्परता दिखाते हुए रस्तोगी एजुकेशन सोसाइटी को नोटिस जारी कर उचित जवाब मांगा है।